राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या – 50/2021
निर्णय दिनांक – 30/9/2022

प्रार्थी

राजाराम पुत्री छोगाजी जाति–माली आयु–वयस्क
निवासी–पनोता तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राज.)

विरूद्ध

अप्रार्थीगण :–

1. संतोष कंवर पत्नि भंवरसिंहजी जाति–राजपूत आयु–वयस्क
   निवासी–आशापुरा तहसील–रानी, जिला–पाली(राज.)
2. दाकू पत्नि केसाराम आयु–वयस्क
3. धनाराम पुत्र केसाराम आयु–वयस्क
4. नारायण पुत्र केसाराम आयु–वयस्क
5. बंशीलाल पुत्र केसाराम आयु–वयस्क
6. भंवरलाल पुत्र केसाराम आयु–वयस्क
   जातिगण–सरगरा निवासीगण–पनोता तहसील देसूरी जिला–पाली
7. तहसीलदार देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार)

–:प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 :–

उपस्थिति:–

1. अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री सुधीर श्रीमाली अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 से लगाये 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
4. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :– 30/9/2022**

1– प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान सरकार अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थी ने अपने आवेदन के साथ ग्राम–पनोता के खाता संख्या 313 की जमाबंदी सम्वत् 2073–76, नक्शा ट्रेस, अप्रार्थीगण की जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 खाता संख्या नया 362 एवं 151 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम पनोता के खसरा नम्बर 503 रकबा 0.7800 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने से (रास्ते की भूमि) रास्ते हेतु न[illegible] पडौस में स्थित अप्रार्थीगण संख्या 01 की निजी खातेदारी भूमि खसरा न[illegible] 487 [illegible]बा 3.2000 हेक्टर किस्म बारानी दोयम एव अप्रार्थीगण संख्या 0[illegible] खसरा नम्बर 491 रकबा 1.5300 हेक्टर किस्म बा[illegible] में बरग लाल से दर्शित ग्रस्ता से मार्क 'ए' से 'बी' तक 20 फीट चौडे रास्ते की मांग [illegible] गई है।

3– प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर श्रीमाली ने वकालत नामा पेश किया जो शमिल मिसल किया गया साथ ही अधिवक्ता द्वारा आदेश 09 नियम 7 सी0पी0सी0

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

सपठित धारा 148 सी0पी0सी0 का पेश किया जो शामिल मिसल किया जाकर एक प्रतिलिपि प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई जिसमें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अनापत्ति दर्शाई गई। अप्रार्थी संख्या 07 (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से मौका जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2021/384 दिनांक 14.10.2021 को लिखा गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 से लगाये 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र एवं मय स्पष्टीकरण पेश की जो शामिल पत्रावली की गई एवं एक प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई।

4– अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय स्पष्टीकरण बताया कि प्रार्थी ने ग्राम पनोता के खसरा नम्बर 503 रकबा 0.78 हे. की भूमि में आवागमन हेतु रास्ते के लिए अप्रार्थी संख्या 01 की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 487 रकबा 3.2000 हेक्टर एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 से लगाये 06 की निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 491 रकबा 1.5300 हेक्टर मे से रास्ते की मांग की जो कि गलत एवं वास्तविकता, सत्यता के विपरित की है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रथमदृष्टया सफल योग्य नही है। प्रार्थी ने प्रकरण में बदनियतिपूर्वक अपूर्ण तथा गलत तथ्य वर्णित किये है। प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर 503 के सटते ही विद्यमान अपनी स्वयं की सहखातेदारी की तथा अपने परिवार के खून के रिश्ते के सदस्यों की खातेदारी व कब्जासूद कृषिभूमियों को छिपाते हुए गलत प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

5– धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 के प्रावधानों के यह स्पष्ट वर्णित है कि इस प्रावधान के तथ्य वांछित रास्ता वही पक्षकार अधिकारी होगा जिसके पास अन्य वैकल्पिक रास्ता की उपलब्धता नही है तथा यह भी स्पष्ट प्रावधान है कि वांछित रास्ता की आवश्यकता आन्तयिक आवश्यकता होना अतिआवश्यक है न कि सुविधाजनक। प्रथमतः विधि के इस प्रावधानो अनुसार प्रार्थी इस प्रकरण कार्यवाही में वर्णित रास्ता खसरा नम्बर 487 तथा 491 की कृषिभूमियों से प्राप्त करने का अधिकारी नही है जिसका एक मात्र कारण प्रार्थी की अन्य खातेदारी व कब्जासूद कृषिभूमिया सहखातेदारी की ग्राम पनोता के ही खसरा नम्बर 464 से 476, 478 कुल रकबा 5.5600 हे. भूमि को प्रार्थी ने जानबूझकर छिपाया है उक्त कृषि में प्रार्थी बतौर सहखातेदार के आधिपति है जो इस प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की कृषि खसरा नम्बर 503 के सटते ही विद्यमान है तथा खसरा नम्बर 464 से 476, 478 के उत्तर–पूर्व दिशा में रास्ता खसरा नम्बर 458 रकबा 0.0800 हेक्टर गे0मु0 रास्ता ठाकुरजी मन्दिर का सार्वजनिक विद्यमान है जिससे भी आवागमन होता है तथा खसरा नम्बर 503 में आ सकता है जिसके बावजूद उक्त वास्तविकता को छिपाते हुए अप्रार्थीगण को अनावश्यक नूकसान, तंगपरेशान करने की बदनियति से गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6– प्रार्थी स्वयं की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 से 476, 478 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 479, 482, 480 विद्यमान है। खसरा नम्बर 479, 482 की कृषि भूमि प्रार्थी के रिस्ते के काका लच्छाराम के पुत्रगण जेठाराम, प्रकाश, रतनलाल व अन्य की खातेदारी कृषि भूमि है वंशावली संलग्न है तथा उसके आगे दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 480 आबादी हेतु आरक्षित जिसमें रास्ते से होकर आवागमन करते हुए ग्राम खारची तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 311/101 सरकारी विद्यमान खसरा नम्बर 101, 102 सार्वजनिक सडक पी0डब्लू0डी0 जो देसूरी से जोजावर पनोता से नया गांव वाली सडक पर आवागमन हेतु विद्यमान है जिससे प्रार्थी का आवागमन हो सकता है तथा मौके पर ESSAR पेट्रोल पम्प के पास से होकर रास्ता विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

7– प्रार्थी की सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 478 के आगे उत्तर–पश्चिम दिशा में खसरा नम्बर 432 मन्दिर ठाकुरजी की सार्वजनिक भूमि तथा खसरा नम्बर 414 गे0मु0 सडक जोजावर से देसूरी से विद्यमान है, जिससे भी प्रार्थी आवागमन करता है।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(उप खण्ड अधिकारी) देसूरी (पाली)

उक्त वर्णित वैकल्पिक, सुविधाजनक रास्ता प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु विद्यमान है जिसके बावजूद मात्र अप्रार्थीगण को अनावश्यक नूकसान, तंगपरेशान करने की बदनियति से गलत एवं उक्त सम्पूर्ण सत्यता, वास्तविकता को छिपाते हुए गलत कार्यवाही धारा 251ए आर0टी0एक्ट0 की तहत् गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो निरस्त योग्य है।

8– यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के संबध में कोई सत्यापन नही है जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त तथ्य संदेहाष्पद व गलत है एवं तथ्यों के संबंध में प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र संलग्न नही है जिससे भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी के गलत प्रार्थना पत्र से अप्रार्थी संख्या 01 विधवा महिला को अनावश्यक रूप से शारिरीक, आर्थिक व मानसिक नुकसानी का सामना करना पड रहा है, जिससे अप्रार्थी संख्या 01 को रूपये 50,000/–का नुकसान हुआ है जो प्रार्थी से नकद दिलाया जावे। अतः जवाब मय स्पष्टीकरण स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें तथा नुकसानी प्रार्थी से अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाई जाने का आदेश फरमावें।

9– अप्रार्थी सख्या 07(भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/कोर्ट/2022/1604 दिनांक 19.9.2022 के जरिये पटवारी हल्का पनोता, भू–अभिलेख निरीक्षक मगरतलाव से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थी के खसरा नम्बर 503 तक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कोई रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 491 व 487 मे से रास्ते की मांग की गई है लेकिन यह सबसे छोटा रास्ता नही है अतः पटवरी हल्का पनोता द्वारा अन्य सबसे छोटे एवं सुगम रास्ते की रिपोर्ट दी गई है।
2. प्रस्तावित रास्ते के लिए खसरा नम्बर 494, 497, 502 रकबा क्रमशः 1.85, 1.73, 1.0 हेक्टर मे से नया मार्ग उपलब्ध कराया जाने पर खसरा नम्बर 494, 497, 502 मे से रकबा क्रमशः 390, 548, 511 वर्गमीटर कुल क्षेत्रफल 0.1449 हेक्टर भूमि रास्ते हेतु प्रभावित होगी। पटवारी हल्का पनोता व भू0अ0नि0 मगरतलाव के मौका फर्द में वर्णित नजरी नक्श में प्रस्तावित रास्ते की भूमि को लाल स्याही से दर्शाया गया है, जो प्रार्थी को दिया जाना उचित है।
3. उक्त प्रस्तावित रास्ते के लिए भूमि पंजीयन बाजार दर 27331.33/–रूपये है जिसका दुगुना 54670/–रूपये बनता है।

10–बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 503 के सटते प्रार्थी स्वयं की अन्य सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 से 476, 478 के उत्तर–पूर्व [illegible] 458 रकबा 0.0800 हेक्टर गै0मु0 रास्ता ठाकुरजी मन्दिर का सार्वजनिक विद्यमान [illegible] जिससे भी आवागमन होता है जिससे प्रार्थी खसरा नम्बर 503 में आ[illegible] सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 464 से 476, [illegible] खसरा नम्बर 479, 482 की कृषि भूमि प्रार्थी के रिस्ते के काका लच्छाराम के पुत्रगण की [illegible]तेदारी कृषि भूमि है, उसके आगे दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 480 आबादी हेतु आरक्षित जिसमें रास्ता के होकर आवागमन होते हुए ग्राम खारची तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 311/101 सरकारी सिवायचक तथा खसरा नम्बर 101, 102 सार्वजनिक सडक पी0डब्लू0डी0 जो देसूरी से

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested

जोजावर यानि पनोता से नया गांव वाली सडक पर आवागमन हेतु विद्यमान है। जिसके बावजूद उक्त वास्तविकता को छिपाते हुए अन्य वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद मात्र अप्रार्थीगण को अनावश्यक नूकसान, तंगपरेशान करने की बदनियति से गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो प्रथम दृष्टया मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

11- न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, जवाब, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देसूरी की रिर्पोट अनुसार प्रार्थी के खसरा नम्बर 503 तक आवागमन हेतु प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 491 व 487 मे से चाहा गया रास्ता है लेकिन यह सबसे छोटा एवं नकदीकी रास्ता नही बताकर अन्य सबसे छोटे व सुगम रास्ता बताया है। जिससे प्रार्थी को उनके द्वारा चाहा गया रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है अतएवं

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:47 IST
Reason: SelfAttested